

प्रेस-विज्ञप्तिपुलिस अधीक्षक ने परेड ग्राउंड का किया निरीक्षण; परेड की ली सलामी, साफ-सफाई के लिए दिये गये दिशा- निर्देश ।

आज दिनांक- 28.06.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पुलिस लाईन्स आजमगढ़ में शुक्रवार की परेड का निरीक्षण किया गया, परेड में पुलिस लाईन्स तथा पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में नियुक्त आरक्षी, मुख्यआरक्षी, उ0नि0, निरीक्षकों द्वारा भाग लिया गया। परेड में भाग ले रहे डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरा दल का भी निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर शुभम अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन्स उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड निरीक्षण के पश्चात आरक्षियों का मेस, बैरक, आवासीय परिसर, जीडी कार्यालय, गणना कार्यालय, आरटीसी कार्यालय, सब्सिडी कैंटीन, जनपद नियंत्रण कक्ष, मोटर वाहन शाखा, स्टोर, क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, गैस एजेन्सी अन्य शाखाओं निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया ।

यूपी 112 के दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया तथा कमियों को दूर करने हेतु प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया, तैनात कर्मियों की कार्य कुशलता व दक्षता की भी जांच की गई। ड्यूटी के दौरान समस्त कर्मचारी बावर्दी दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही वाहन में सदैव दंगा नियंत्रण उपकरण रखने, यूपी 112 की गाड़ियों/टैबलेट व अन्य उपकरणों की साफ-सफाई व रख-रखाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

थाना- कोतवालीहत्या के मुकदमें में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

वादी मुकदमा श्यामदुलारे चौहान पुत्र स्व0 तिलकधारी चौहान निवासी ग्राम सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया कि वादी मुकदमा आरुष चौहान को आरुष की माता/श्यामदुलारे की बहु द्वारा पूनम चौहान व उसके मायके वालों की मदद से हत्या कर दी गयी है, के संबंध में मा0 न्यायालय के आदेश से धारा 156(3) के तहत 01. पूनम देवी पुत्री धन्नीराम चौहान 02. रेखा पत्नी हरेन्द्र 03. धन्नीराम चौहान पुत्र अज्ञात 04. हरेन्द्र पुत्र धन्नीराम निवासीगण ग्राम व पोस्ट अमीरहा थाना रानीपुर, जनपद मऊ के विरुद्ध मु0अ0सं0 460/2023 धारा 302 भादवि का अभियोग दिनांक 18/08/2023 को समय 19.11 बजे पंजीकृत कराया गया परन्तु साक्ष्य संकलन से ज्ञात हुआ कि मुकदमें के वादी श्यामदुलारे चौहान के लड़कों दिलीप चौहान, प्रदीप चौहान द्वारा श्यामदुलारे चौहान, प्रदीप चौहान की पत्नी संयोगिता चौहान, व श्यामदुलारे की लड़की सरोज चौहान के साथ षड्यंत्र करके अभियोग आरुष चौहान की हत्या की गयी है जिस पर अभियुक्त 1. दिलीप चौहान पुत्र श्याम दुलारे उम्र लगभग 25 वर्ष, 2. प्रदीप चौहान पुत्र श्यामदुलारे उम्र लगभग 30 वर्ष 3. श्यामदुलारे पुत्र तिलकधारी चौहान उम्र लगभग 55 वर्ष 4. सरोज पुत्री श्यामदुलारे उम्र लगभग 32 वर्ष, 5. संयोगिता पत्नी प्रदीप चौहान उम्र लगभग 28 वर्ष, समस्त साकिनान ग्राम सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में लाया गया और वादी निरीक्षक शशिमौलि पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ बनाम अभियुक्तगण 1. दिलीप चौहान पुत्र श्याम दुलारे उम्र लगभग 25 वर्ष, 2. प्रदीप चौहान पुत्र श्यामदुलारे उम्र लगभग 30 वर्ष 3. श्यामदुलारे पुत्र तिलकधारी चौहान उम्र लगभग 55 वर्ष 4. सरोज पुत्री श्यामदुलारे उम्र लगभग 32 वर्ष, 5. संयोगिता पत्नी प्रदीप चौहान उम्र लगभग 28 वर्ष, समस्त साकिनान ग्राम सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध धारा 302/120 बी भादवि में विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 28.6.24 को प्रभारी निरीक्षक शशिमौलि पाण्डे, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. दिलीप चौहान पुत्र श्याम दुलारे उम्र लगभग 25 वर्ष, 2. प्रदीप चौहान पुत्र श्यामदुलारे उम्र लगभग 30 वर्ष 3. श्यामदुलारे पुत्र तिलकधारी चौहान उम्र लगभग 55 वर्ष समस्त साकिनान ग्राम सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को ग्राम सिकरौरा की ओर जाने वाली रास्ता से नियमानुसार समय 9.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 460/23 धारा 302/120B भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. दिलीप चौहान पुत्र श्याम दुलारे उम्र लगभग 25 वर्ष साकिन ग्राम सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
  2. प्रदीप चौहान पुत्र श्यामदुलारे उम्र लगभग 30 वर्ष साकिन ग्राम सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
  3. श्यामदुलारे पुत्र तिलकधारी चौहान उम्र लगभग 55 वर्ष साकिन ग्राम सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
- गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-प्रभारी निरीक्षक शशिमौलि पाण्डे, कां0 अभय सिंह, कां0 नीरज कुमार व म0कां0 रेशमा सरोज थाना कोतवाली आजमगढ़

## थाना बिलरियागंज

### चोरी की घटना का अनावरण, चोरी गये मोबाइल व नकदी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.06.2024 को वादिनी मुकदमा ईप्फत पत्नी अबुहुरैरा निवासी ग्राम बिन्दवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में मुख्य कमरे का ताला तोड़कर आलमारी में रखे 15000/- रूपया व सोने के चार कान का बुदाँ तथा एक ओप्पो की मोबाइल चालू हालत में चुरा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/2024 धारा 457/380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 28.06.2024 को प्रकाश में आये अभियुक्त मोहम्मद अहमद पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम बिन्दवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से चोरी गया मोबाइल तथा चोरी गये पैसों में से 1500/- रू0 बरामद हुआ तथा अभियोग में धारा 411 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 28.06.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त मोहम्मद अहमद पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम बिन्दवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को चोरी गये एक अदद मोबाइल फोन व 1500/ रुपये नगद के साथ बिन्दवल जैगहा रोड पर शिब्ली कालेज मोड़ के पास से समय करीब 9.30 बजे गिरफ्तार किया गया बरामद मोबाइल अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 196/2024 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. मोहम्मद अहमद पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम बिन्दवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी - 01 अदद चोरी का मोबाइल व चोरी का 1500 रू0-

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

## थाना- रानी की सराय

### दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 27.06.2024 को वादी मुकदमा यशवन्त यादव पुत्र विभूति यादव सा0 पिपरहा दूली चावर थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ ने थाना रानी की सराय पर लिखित तहरीर दिया कि वादी की बहन पूजा यादव को उसके पति व ससुरालीजनो द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए दहेज की मांग किया गया व दिनांक 27.06.2024 को जहर देकर मार दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/24 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. (पति) राज यादव उर्फ सागर पुत्र स्व0 रामनारायण यादव 2. (सास) उर्मिला देवी पत्नी स्व0 रामनारायण यादव 3.(जेठ),संजय पुत्र स्व0 रामनारायण यादव 4.(जेठ) मंज्जे पुत्र स्व0 रामनारायण 5. (जेठान) मीना पति संजय 6. (ननद) गीता पुत्री स्व0 रामनारायण यादव सा0 सेमरहा थाना रानी की सराय आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राज यादव उर्फ सागर पुत्र स्व0 रामनारायण यादव को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक-28.06.2024 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 राज उर्फ सागर यादव पुत्र स्व0 रामनारायण सा0 सेमरहा थाना रानी की सराय आजमगढ़ को सेमरहा अण्डर पास के नीचे से समय करीब 10.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 186/24 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-राज उर्फ सागर यादव पुत्र स्व0 रामनारायण सा0 सेमरहा थाना रानी की सराय आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष

06.पूछताछ का विवरण - राज उर्फ सागर यादव पुत्र स्व0 रामनारायण सा0 सेमरहा थाना रानी की सराय आजमगढ़ से पूछताछ करने पर गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2)का0 हृदेश गुप्ता थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(3) का0 कृष्ण कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(4) का0 संजय कुमार वर्मा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(5) म0का0 अनामिका थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

## थाना निजामाबाद

### घर से चोरी गये आभूषण व नकदी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण -

वादी परमेश यादव पुत्र ललतू निवासी पाइन्दापुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने थाना निजामाबाद पर लिखित तहरीर दिया कि वादी का परिवार गुजरात में रहता था। वादी जब दिनांक 10.04.24 अपने घर आया तो देखा की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा छत के उपर लगा सिमेन्ट का पतरा तोड़ कर घर में रखा सोने-चाँदी का गहना व 5000 रूपये नगद चोरी कर लिया है। वादी के प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 153/24 धारा 380/411 IPC बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना व आवश्यक कार्यवाही हेतु उ0नि चन्द्रजीत यादव को सुपुर्द किया गया।

#### गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 28.06.24 को उ0नि0 चन्द्रजीत यादव मय हमराह को सूचना मिली की एक व्यक्ति चोरी का समान लेकर बेचने के लिए खादा पेट्रोल पम्प के पास खड़ा है। इस सूचना तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया जिसने अपना नाम अजय यादव पुत्र स्व0 जवाहीर यादव निवासी पाइन्दापुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष बताया और उसके कब्जे से एक जोड़ी कान की बाली पीली धातु व दो अदद मंगल सूत्र का धागा लाल व पीले रंग की दो सौ रूपया बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कृत्य 380/411 भादवि का अपराध है अपराध को बोध कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 9.30 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 315/24 धारा 392 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त - अजय यादव पुत्र स्व0 जवाहीर यादव निवासी पाइन्दापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी- एक जोड़ी कान की बाली चोने का व दो अदद मंगल सूत्र का धागा लाल व पीले रंग का, दो सौ रूपया

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 315/24 धारा 392 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 438/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 14/23 धारा 380/411/457 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रजीत यादव
2. हे0का0 सुबाष यादव
3. हे0का0 पिन्दु कुमार का0 उमेश यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

#### थाना- कन्धरापुर

#### दुकान से चोरी गये सामान के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 27-06-024 को वादी श्री शिव कुमार S/O स्व0 श्री दल सिंगार ग्रा0 मातनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाना कंधरापुर पर लिखित तहरीर दिया वादी मुकदमा के दुकान से समय 4.30 बजे अपनी रिस्तेदारी से अनवरगंज अपनी दुकान पर आ रहा था और दुकान पर पहुचने से 50 कदम दूरी पर था तो देखा कि तीन व्यक्ति वादी के दुकान का ताला तोडकर चोरी कर रहे थे शोर मचाया तो तीनों व्यक्ति भाग गये दुकान में देखा तो मेरा टेबल फैन व 500 रु दुकान से चोरी कर लिये थे शोरगुल करने पर मोनू गौड़ S/O राम अवध गोड़ महाराजपुर के दुकान का भी ताला टूटा है और साथ में रोहित यादव S/O हरिश्चन्द्र यादव ग्रा0 मोहिदीनपुर थाना कन्धरापुर दुकान का ताला तोड़कर नमकीन और 1 पैकेट पुकार गुटखा और एक बंडल विस्कुट-250 रु चोरी हो जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 180/24 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोरों के विरुद्ध दिनांक 27.06.2024 को पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 28.06.2024 को उ0नि0 श्री अमित कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त नाम 1. नीरज तिवारी पुत्र केदारनाथ तिवारी निवासी ग्राम गैलवारा थाना सिंधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष 2. सुमित चौहान पुत्र बालचन्द चौहान निवासी ग्राम गैलवारा थाना सिंधारी जनपद आजमगढ़ आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष 3. आशीष सोनी पुत्र कन्हैया लाल निवासी हरवंशपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ आजमगढ़ को चोरी गये सामान एक अदद टेबल फैन , एक पैकेट पुकार गुटखा , 750 रूपये नगद , एक अदद लोहे का सब्बल व घटना में प्रयुक्त 01 टेम्पो के साथ समय करीब 07.40 बजे हिरासत में लिया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण को प्रकाश में लाया गया तथा धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 180/2024 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नीरज तिवारी पुत्र केदारनाथ तिवारी निवासी ग्राम गैलवारा थाना सिंधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष
2. सुमित चौहान पुत्र बालचन्द चौहान निवासी ग्राम गैलवारा थाना सिंधारी जनपद आजमगढ़ आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष
3. आशीष सोनी पुत्र कन्हैया लाल निवासी हरवंशपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त नीरज तिवारी पुत्र केदारनाथ तिवारी

1. मु0अ0सं0 50/11 धारा 8/20 NDPS Act. थाना सिंधारी आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 2. 269/13 धारा 41, 109 सीआरपीसी थाना सिंधारी आजमगढ़ ।

बरामदगी –

- 1- एक अदद टेबल फैन , एक पैकेट पुकार गुटखा , 750 रूपये नगद , एक अदद लोहे का सब्बल,

2- एक अदद टेम्पो रजिस्ट्रेशन सं०. UP50DT6015 (श्री व्हीलर) धारा 207 एमवी. एक्ट में सीज ।  
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अमित कुमार पाल मय हमराह थाना कंधरापुर आजमगढ़ ।

### थाना निजामाबाद

### 24 घण्टे के अन्दर लूट की घटना का सफल अनावरण; लूटे गये नकदी, आडेन्टी कार्ड, एटीएम कार्ड व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

#### पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 27.06.24 को वादी कमलेश चौहान पुत्र अद्या चौहान निवासी सड़वाहा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना निजामाबाद पर लिखित तहरीर दिया कि रात्रि में वादी मुकदमा शंकरपुर (चेक पोस्ट) पर बस से उतर कर सरायमीर जाने हेतु गाड़ी का इंतजार कर रहे थे कि 02 मोटर साइकिल सवार आये और लिफ्ट देने के बहाने मो०सा० पर बैठा लिये। बदमाशों द्वारा बघौरा में गाड़ी में रोड से मोड़कर नहर के तरफ ले गये और सुनसान जगह देखकर असलहा तथा चाकू के बल पर जबरदस्ती मोबाइल और पर्स में रखे 3500 रूपये नगद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइन्सेस और 03 ATM कार्ड लूट लिया गया। वादी के प्रा०पत्र के आधार पर दिनांक 27.06.24 को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 315/24 धारा 392 IPC बनाम दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

#### गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 28.06.2024 को उ०नि० मो० शमशाद खां मय हमराह को सूचना मिली कि उक्त घटना से संबंधित एक अभियुक्त फरिहा से होते हुए तहबरपुर जाने वाला है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर चेकिंग करने लगी, कुछ देर बाद एक व्यक्ति तेजी से मोटर साइकिल चलाते हुए आता दिखाई दिया जैसे ही पुलिस वाले टार्च की रोशनी से इशारा करते हुए रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया कि गाड़ी बन्द हो गयी और पुलिस वालो द्वारा मौके पर ही घेर मार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम किशन राजभर महेन्द्र राजभर निवासी अबुसईदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष बताया तथा यह भी बताया कि साहब दिनांक 26/27.06.24 को रात्रि में हम और हमारा साथी अमन द्वारा फरिहा के पास नहर पुलिया पर एक व्यक्ति से मोबाइल, रूपये 3500 व ए टी एम कार्ड व अन्य कागजात लूटा गया था उसी के डर से भागने का प्रयास कर रहा था। बरामद शुदा मोबाइल व एटीएम कार्ड व पैन कार्ड व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल के नियमानुसार कब्जा पुलिस लिया गया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 02.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा० न्यायालय/जेल भेजा गया।

#### पंजीकृत अभियोग –

1-मु०अ०सं० 315/24 धारा 392 ,411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

#### गिरफ्तार अभियुक्त –

1-किशन राजभर महेन्द्र राजभर निवासी अबुसईदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

#### बरामदगी-

1-1160 रूपये, 01 रियल मी मोबाइल (सिम के साथ),

2- 02 ए०टी०एम० कार्ड व 01 पैन कार्ड व घटना में प्रयुक्त पल्सर गाड़ी

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

#### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० मो० शमशाद खां 2. का० धर्मेन्द्र कुमार सिंह 3. का० सुजीत कुमार थाना निजामाबाद जनपद आमजगढ़